कार्यालय– जिलाधिकारी देहरादून।

पत्रांक:– 1673 /ए0जे0ए0–04/2024–25 दिनांक 05 अक्टूबर 2024

आदेश

दिनांक 04.10.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमती स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश एवं डा0 संजय जैन, मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून की उपस्थिति में एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश का निरीक्षण किया गया । (निरीक्षण आख्या– पत्रांक 1672/ए0जे0ए0–04/2024–25 दिनांक 04.10.2024)। निरीक्षण के दौरान 08 चिकित्सक, 02 नर्सिंग स्टाफ, 10 आउट सोर्स कर्मी एवं 02 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

चिकित्सालय की कुल 165 बेडों की क्षमता के सापेक्ष चिकित्सालय में मात्र 74 मरीज ही भर्ती पाये गये। चिकित्सालय स्थित शौचालयों एवं वार्डो में में सफाई–व्यवस्था न्यून स्तर की पाई गई। Intensive Care Unit (आई0सी0यू0) को जाने वाले गेट पर ताला लगा पाया गया। जिसके बारे में उपस्थित स्टाफ ने कोई कारण स्पष्ट नहीं किया।

अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराये गये सितम्बर माह के सर्जरी विवरण के अवलोकन में पाया गया कि माह में कुल नेत्र सर्जरी शून्य, जर्नल सर्जरी में औसतन दो दिन में एक सर्जरी व आर्थो विभाग में औसतन तीन दिन में एक सर्जरी की जा रही है, जो कि न्यून है।

उपस्थिति पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पंजिकाओं का पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है एवं न ही पंजिका पर कोई अभियुक्ति दर्ज की गयी है।

एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश, सम्पूर्ण गढवाल क्षेत्र के निवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य बिन्दु है। चारधाम यात्रा एवं सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में दैवीय आपदा एवं पब्लिक हेल्थ रिस्क के दृष्टिगत Tertiary Treatment care एवं Surge management एवं उच्च कोटि की स्वास्थय सेवायें उपलब्ध करान हेतु केन्द्र बिन्दु है। वर्तमान में राज्य में चारधाम यात्रा गतिमान है एवं दैवीय आपदा सीजन भी समाप्त नही हुआ है। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश की कार्यशैली उदासीन, असंवेदनशील एवं निष्प्रभावी पायी गयी।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जिलाधिकारियों को प्रदत्त अधिकार सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या 1194/तीस–I/2016–12(6)16, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के पैरा–2 में स्पष्ट है कि, "आपात स्थितियों के दौरान जिलाधिकारी को पूर्ण रूप से विभागाध्यक्ष के अधिकार प्राप्त रहेंगे।"इसी क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 267/सु0भ्र0उ0ज0से0वि0 /2012/02(11) 2012, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 के पैरा–2(ख) के द्वारा जिलाधिकारी को जनपदीय विभागों के अनुश्रवण एवं प्रभावी नियंत्रण एवं पैरा 3(IV) में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन हेतु विशेष शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं।

अतएव उपरोक्त शासनादेश संख्या 1194/तीस–I/2016–12(6)16, दिनांक 06 जुलाई, एवं शासनादेश सं0 267/सु0भ्र0उ0ज0से0वि0 /2012/02(11) 2012, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 में दी गयी व्यवस्था एवं निरीक्षण आख्या में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में निम्नवत आदेश पारित किये जाते हैं–

1. चिकित्साधिकारियों की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करने पर माह अक्टूबर में अनुपस्थिति निम्नवत पायी गयी:–

क्र0सं0	चिकित्सा अधिकारी का नाम	माह अक्टूबर में कुल अनुपस्थिति
1.	डा0 प्रदीप कुमार चन्दोला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	02 दिन
2.	डा0 अंकित आनन्द, चिकित्साधिकारी	04 दिन
3.	डा0 शिवानी ध्यानी चिकित्साधिकारी	04 दिन
4.	डा0 साक्षी बंगवाल, चिकित्साधिकारी	04 दिन

5	डा0 ललित जैन दन्त सर्जन	04 दिन
6.	डा0 रितिका गुप्ता, चिकित्साधिकारी	01 दिन
7.	डा0 नीना सैनी वरिष्ठ दन्त सर्जन	03 दिन
8.	डा0 आकांक्षा व्यय, चिकित्साधिकारी	04 दिन

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश सहित समस्त 08 अनुपस्थित चिकित्साधिकारियों के उपरोक्त तालिका अनुसार अनुपस्थित दिनों के सापेक्ष वेतन कटौती के आदेश पारित किये जाते है एवं उक्त का अंकन उनकी सेवा पुस्तिका में किया जाय। समस्त 08 चिकित्साअधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित पाये गये है अतः उक्त अनुपस्थिति को प्रत्येक चिकित्साधिकारी की सेवा में व्यवधान माना जायेगा।

1. निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश डा0 प्रदीप कुमार चन्दोला की लचर कार्यशैली एवं दयनीय प्रबन्ध व्यवस्था के दृष्टिगत श्री चन्दोला की अन्यत्र जनपद में स्थानान्तरण की संस्तुति की जाती है। जिस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी पृथक से पत्रालेख अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2. अनुपस्थित नर्सिंग स्टाफ, आउसोर्सिंग कार्मिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 01 दिन के वेतन की कटौती के आदेश पारित किये जाते हैं।

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.मुख्य विकास अधिकारी देहरादून।

2.प्रभारी अधिकारी,चिकित्सा/उप जिलाधिकारी, सदर

3.मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति उपरोक्त समस्त स्थाई कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में चस्पा कर प्रभारी अधिकारी स्वास्थय, जिला कार्यालय देहरादून को अवलोकित करवाना सुनिश्चित करें।

4.मुख्य कोषाधिकारी देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार वेतन कटौती एवं सेवा व्यवधान सम्बन्धी आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

5.उप जिलाधिकारी ऋषिकेश।

6.उप कोषाधिकारी ऋषिकेश।

7.मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश को इस आशय से प्रषित की समस्त सम्बन्धित कार्मिकों को उक्त आदेश की एक प्रति प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

05/10

जिलाधिकारी
देहरादून।